यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय अधिशासी अभियंता, उद्योगशाला खंड, रुड़की** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालयअधिशासी अभियंता,उद्योगशाला,खंड रुड़की के माह07/2016से 09/2020के लेखा-अभिलेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन श्री भानु प्रताप सिंह,सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी तथा श्री एस. एस. राणा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारीद्वारा श्री हनुमान सिंह, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में दिनांक 22.10.2020 से 28.10.2020तक संपादित किया गया।

भाग-I

1). परिचयात्मकःकार्यालयअधिशासी अभियंता,उद्योगशाला खंड, रुड़कीके लेखा अभिलखों की विगत लेखापरीक्षा सर्व श्री प्रवीण कुमार,सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी,सर्व श्री आर.एन. यादव, डी.के. मट्टू, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों एवं श्री अंकित पाण्डेय, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 01/08/2016 से 08/08/2016 तकसंपादित की गयी, जिसमे माह **03/2010से 06/2016**तक की अवधि के लेखा अभिलेखों का संप्रेक्षण किया गया था।

2).(i).इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रःअधिशासी अभियंता,उद्योगशाला खंड, रुड़कीद्वारा निक्षेप मद के कार्य संपादित किए जाते हैं। कार्यालयअधिशासी अभियंता,उद्योगशाला खंड, रुड़कीका कार्यक्षेत्र जिला हरिद्वारहै।

ii). (अ).विगत वर्षों में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(रु लाख में)

वर्ष	**प्रारम्भिक अवशेष**		**स्थापना**		**गैर-स्थापना**		**आधिक्य**	**बचत**
	स्थापना	**गैर-स्थापना**	**आवंटन**	**व्यय**	**आवंटन**	**व्यय**		
2016-17		**16.17**	**845.38**	**845.38**	**73.27**	**83.70**		**5.74**
2017-18		**5.74**	**863.16**	**863.16**	**192.83**	**192.51**		**6.06**
2018-19		**6.06**	**1018.92**	**95.59**	**237.34**	**176.79**		**66.61**
2019-20		**66.61**	**805.66**	**767.86**	**399.96**	**157.78**		**308.79**
2020-21(09/2020 तक)		**308.79**	**476.77**	**469.83**	**152.56**	**153.17**		**308.18**

iii)कार्यालय अधिशासी अभियंता,उद्योगशाला खंड, रुड़कीको बजट राज्य सरकार एवं डिपॉजिट मद से प्राप्त होती है । प्रश्नगत इकाईसंपादित कार्यों एवं स्वीकृत कार्यों के आधार पर 'सी' श्रेणीकी है।

विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः-

1. प्रमुख सचिव
2. प्रमुख अभियंता
3. मुख्य अभियन्ता(यांत्रिक)
4. अधीक्षण अभियन्ता
5. अधिशासी अभियन्ता

iv). लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिःवर्तमान लेखापरीक्षा माह07/2016से 09/2020तक की अवधि को आच्छादित करते हुए कार्यालयउद्योगशाला खंड, रुड़कीके लेखा-अभिलेखों की नमूना जांच के आधार पर तैयार की गयी। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय अधिशासी अभियंता,उद्योगशाला खंड, रुड़कीकी लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। अधिकतम व्यय के आधार माह02/2019एवं 03/2020को विस्तृत जांच हेतु तथा अधिकतम प्राप्ति के आधार पर07/2017एवं09/2020माह को विस्तृत जांच के लिए नमूना माह के रूप मे चयनित किया गया।

v).लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद- 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी.पी.सी. एक्ट, 1971) की धारा15लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-दो 'ब'

प्रस्तर 1:-रु 19.32 लाख की अनियमित खरीद।

उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली-2017 के प्रस्तर-3(10) के अनुसार निम्नतर दरों का लाभ प्राप्त करने के लिए यथासाध्य अधिकतम आवश्यक मात्रा के एक साथ अधिप्राप्ति की जानी चाहिये। अधिप्राप्ति मूल्य कम करने के लिए आवश्यक मात्रा को विभाजित नहीं किया जाना चाहिये और न ही कुल आवश्यकता के आंकलित मूल्य के संदर्भ में अपेक्षित उच्चतर प्राधिकारी की संस्वीकृति प्राप्त करने की आवश्यकता से बचने के लिए छोटे-छोटे भागों में विभक्त किया जाना चाहिये।

इकाई के अंतर्गत संपादित कराये जा रहे निक्षेप कार्यों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा में पाया गया कि पशुलोक बैराज, ऋषिकेश में शटर के निर्माण का कार्य (**K-15**) जनवरी-2018 में स्वीकृत किया गया था जिसकी लागत रु 162.11 लाख थी। शटर के निर्माण के कार्य को माह जुलाई-2018 में प्रारम्भ करके माह नवंबर-2018 तक पूर्ण कर लिया गया था।

आगे अभिलेखों में पाया गया कि शटर के निर्माण हेतु प्रयुक्त होने वाले Latch Pin, जिसकी आगणन के अनुसार प्रविधानित राशि रु 19.31 लाख थी, की खरीद कई भागों में एवं कोटेशन के माध्यम से की गयी है। जिसका विवरण निम्नप्रकार है:

कोटेशन तिथि	**मात्रा/सं**	**न्यूनतम दर**	**राशि (Without GST)**	**वाउचर सं/ दिनांक**	**राशि (With GST)**	**फर्म का नाम**
19/10/18	03 जॉब	71875/-	215625/-	13/25-6-20	241501	M/s Kumar Engineers, Jawalapur, Haridwar
20/09/18	03 जॉब	71875/-	215625/-	10/25-6-20	241501	
21/08/18	03 जॉब	71875/-	215625/-	08/25-6-20	241501	
20/08/18	03 जॉब	71875/-	215625/-	12/25-6-20	241501	
18/07/18	03 जॉब	71875/-	215625/-	01/25-6-20	241501	
25/07/18	03 जॉब	71875/-	215625/-	09/25/6/20	241501	
17/08/18	03 जॉब	71875/-	215625/-	11/25-6-20	241501	
21/09/18	03 जॉब	71875/-	215625/-	16/25-6-20	241501	M/s Rushi Company,Roorkee
योग					**1932008**	

उक्त तालिका से स्पष्ट है कि उक्त सामाग्री को आठ बार कोटेशन के द्वारा सहायक अभियंता के कार्यादेश के माध्यम से रु 19.32 लाख की खरीद की गयी थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इस संबंध में पुछे जाने पर इकाई द्वारा उत्तर में बताया गया कि छः अलग-अलग गेटों के लिए अलग-अलग खरीदा गया। इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि जब सभी छः गेटों में प्रयुक्त होने वाले Latch Pin की मात्रा एवं धनराशि को आगणन में आकलित कर प्राविधान कर लिया गया था तब नियमानुसार एक मुश्त खरीद निविदा के माध्यम से किया जाना चाहिये ताकि निविदा की तुलनात्मक दरों का लाभ इकाई/विभाग को मिलता।

अतः उक्त प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर:-1वर्ष 2016 से पूर्व की ₹3463010 की प्रतिभूतियाँ का समायोजन न किया जाना।

इकाई स्तर पर जब कोई कार्य किसी ठेकेदार को आबंटित किया जाता है तो कार्य की गुणवत्ता/मध्य में कार्य छोड़ देना इत्यादि के बचाव हेतु ठेकेदार से सिक्योरीटीज़ ली जाती है(पार्ट-II Security of Firms and Contractor) जो कि कार्य के संतोषपूर्ण समाप्ती पर वापस कर दी जाती है। साथ ही ठेकेदार द्वार प्रस्तुत की गयी सिक्योरीटीज़ की जांच भी इकाई द्वारा की जाती है कि ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत सिक्योरिटी वैध है अथवा नही।

पंजिका संख्या-III में विभागों से निक्षेप मदों में धनराशि कार्य करने हेतु ली जाती है (Deposit for work to be done) तथा कार्य समाप्ती के उपरांत वापस लौटा दी जाती है।

कार्यालय की माह 07/16 से 10/20 तक के लेखा अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि कार्यालय में भाग द्वितीय एवं तृतीय में क्रमशः रुपये 708009.00 एवं 2755001.00 (कुल ₹3463010)की धनराशियाँ वर्ष 2016 से पूर्व की पड़ी हुई है जिनको लेखापरीक्षा तक समायोजन/ वापस नही की गयी थी। जिनको कार्य समाप्ती के उपरांत संस्था को लौटाया जाना अपेक्षित होता है।

Part- II[nd] (Security of firms & Contractors)

क्र0सं0	फर्म का नाम	धनराशि	वर्ष (जब से प्रतिमूति पडी हुई है)	टिप्पणी
1	2	3	4	5
1.	M/S Mangal Deep Steel	6,07,121.00	वर्ष 2016 से पूर्व	-
2.	Shri Suleman S/O Shri Matloob Hasan	11,800.00	–तदैव–	-
3.	M/S Singh Computer	1550.00	–तदैव–	-
4.	M/S Gaytri Systam Rishikesh	823.00	–तदैव–	-
5.	Indar Kumar Darbari lal	86,715.00	–तदैव–	-
	Total	7,08,009.00	–	-

Part- IIInd (Deposit for work to be down)

क्र0सं0	फर्म का नाम	धनराशि	वर्ष (जब से डिपोजिट धनराशि अवरूद्ध है)	टिप्पणी
1	2	3	4	5
1.	E.E. Irrigation Division Bhageswar	21,10,984.00	वर्ष 2016 से पूर्व	-
2.	Works manager Irrigation Workshop Jhansi	1,29,538.00	–तदैव–	-
3.	Sail Ghaziabad	30,647.00	–तदैव–	-
4.	M/S Turian Engineering	415.00	–तदैव–	-
5.	Works manager Irrigation Workshop Bareilly	4,13,278.00	–तदैव–	-
6.	M/S Laxmi Foils Ltd. Roorkee	307.00	–तदैव–	-
7.	E.E. Water Resoures Shiyar M.P.	56,432.00	–तदैव–	-
8.	M/S Alekendrd Hydro power Srinagar	13,400.00	–तदैव–	-

	Total	27,55,001.00	–	-

उक्त के संबंध में इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा तथ्यों की पुष्टि करते हुए अवगत कराया गया कि फ़र्मों द्वारा प्रतिभूति की मांग न किए जाने के कारण वापस नही की गयी।

इकाई का उत्तर लेखापरीक्षा को अमान्य था क्योकि ₹3463010 की प्रतिभूतियाँ वर्ष 2016 से पूर्व की हैं जिनको वापस किया जाना चाहिए था । साथ ही लेखापरीक्षा द्वारा अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया की प्रतिभूतियाँ कब प्राप्त होती है उनका विस्तृत विवरण भी नही लिखा जा रहा था।

अतः ₹3463010 की प्रतिभूतियाँ जो वर्ष 2016 से पूर्व की हैं समायोजन न किए जाने का मामला उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर:-02₹ 22014 का अर्थदण्ड वसूल न किया जाना ।

इकाई द्वारा समय-समय पर उद्योगशाला हेतु सामग्रियों की मांग की जाती है जिस हेतु सप्लाई आर्डर दिया जाता है सप्लाई आर्डर में स्पष्ट प्रविधान है कि सप्लाई आर्डर के 30 दिन के भीतर सामाग्री आपूर्ति की जानी चाहिए यदि उक्त दिनों के भीतर सप्लाई नही की जाती है तो आपूर्ति करता से अर्थदण्ड 0.25% प्रत्येक दिन से कटौती की जाएगी(अधिकतम 10%)। और उनको सप्लायर द्वारा पूर्ति किए जाने के उपरांत स्टॉक बुक में इंदराज किया जाता है।स्टॉक बुक से संबन्धित लेखा अभिलेखो की नमूना जांच में पाया गया कि सामग्रियाँ बहुत विलंब से इकाई को प्राप्त हुई थी फिर भी इकाई द्वारा कोई अर्थदण्ड की वसूली नही की गयी। जबकि आपूर्तिकर्ता से ₹22014 की अर्थदण्ड वसूल की जानी चाहिए थी(विवरण संलग्न)।

उक्त के संबंध में इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा अवगत कराया गया कि आवश्यकताओं के अनुसार फर्म से सामाग्री मंगाई जाती है। इकाई का उत्तर लेखापरीक्षा को अमान्य था क्योकि आपूर्ति आदेश में स्पष्ट प्रावधान था कि यदि आपूर्तिकर्ता द्वारा आपूर्ति आदेश के 30 दिनों के भीतर यदि आपूर्ति नही की जाती है तो 0.25% प्रत्येक दिन से कटौती की जाएगी (अधिकतम 10%)।

अतः ₹22014 की अर्थदण्ड वसूल न किए जाने का मामला उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

क्रम संख्या	आदेश संख्या दिनांक	बीजक संख्या एवं दिनांक	मद का नाम	धनराशि	फार्म का नाम	विलंब	वसूलनीय अर्थदण्ड (0.25%per day or maximum 10%)
1.	115 PS 23.09.2019	31 04.02.20	Electric 4mm tata	49560.00	Sunil Electronic Roorkee	105 days	4956.00
2.	163 PS 02.05.2018	989 08.09.2018	Wielding Electric 315x350gm	13169.00	Mittal gas agency	98days	1317.00
3.	163 PS 02.05.2018	989 08.09.2018	Wielding Electric 315x450gm	51196.00	Mittal gas agency	98days	5120.00
4.	163 PS 02.05.2018	989 08.09.2018	Wielding Electric 4mmx450gm	23115.00	Mittal gas agency	98days	2312.00
5.	163 PS 02.05.2018	989 08.09.2018	Wielding Electric 4mmx450gm	11589.00	Mittal gas agency	98days	1159.00
6.	163 PS 02.05.2018	989 08.09.2018	Wielding Electric 4mmx450gm	29384.00	Mittal gas agency	98days	2938.00
7.	163 PS 02.05.2018	989 08.09.2018	Wielding Electric 2mmx350gm	31860.00	Mittal gas agency	98days	3186.00
8.	100 PS 11.09.2019	30 04.02.2020	PUC 1mm Rewinding wire	7363.00	Sunil Enterprises	116days	736.00
9.	163 PS 02.05.2018	100 08.09.2018	Fabrication 02 core cable	2903.00	Sunil Enterprises	98days	290.00
Total				220139.00			22014.00

STAN

प्रस्तर 3:-इकाई द्वारा वर्ष 1998 से वर्ष 2016 तक 06 अक्रियाशील/ऑफ रोड पड़े वाहनों की नीलामी न किया जाना।

वित्तीय हस्त पुस्तिका-भाग-V खण्ड-1 के अपेंडिक्स XIX-D में **Rule for the disposal of Government property through public auction**के तहतप्रावधानित है कि "Whenever it appears that the articles borne on stock or tools and plant including motor vehicles are either in excess of the requirement of the department or have become unserviceable and unfit for further use, the matter should immediately be reported to the competent authority who should arrange for inspection of the articles and decide if they should be auctioned".

इसके अतिरिक्त अधिप्राप्ति नियमावली 2017 के नियम 75 में उल्लेखित है कि रजिस्टर में उल्लिखित आस्तियों/समग्री की उपलब्धता और पुरानी और निष्प्रयोज्य सामग्री के निस्तारण हेतु कार्यालयाध्यक्ष/सक्षम प्राधिकारी या उनके नामिती द्वारा प्रतिवर्ष 31 मार्च वार्षिक भौतिक सत्यापन किया जाना चाहिए।

कार्यालय अधिशासी अभियंता, उद्योगशाला खण्ड, रुड़की के वाहनों से संबन्धित अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि इकाई के पास विगत कई वर्षों से कुछ वाहन अकार्यशील पड़े है जिसका विवरण निम्नवत है-

वाहन का नाम	**पंजीकरण सं.**	**क्रय तिथि**	**वाहन की स्थिति**	**क्रय मूल्य (लगभग)**	**अकार्यशील होने का वर्ष**
ट्रक	UTJ-1714	1974	ऑफ रोड	100000/-	2014
ट्रक	UTJ-1053	1973	ऑफ रोड	100000/-	2014
कोल्स क्रेन	UHR-9821	1984	ऑफ रोड	1960134/-	2012
ट्रेलर	USV-4438	1965	ऑफ रोड	100000/-	2012
MOC 084 ट्रेक्टर क्रेन	ज्ञात नहीं	1974	ऑफ रोड	100000/-	2016
P & H क्रेन	ज्ञात नहीं	1959	ऑफ रोड	ज्ञात नहीं	1998

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि इकाई के पास उक्त वाहन काफी समय से अकार्यशील पड़े है। उक्त वाहनों का न्यूनतम मूल्य आंकलन परिवहन आयुक्त या उनके द्वारा नामित अधिकारी से नहीं कराया गया था तथा इकाई द्वारा उक्त

अकार्यशील वाहनों की नीलामी (Auction) लेखापरीक्षा तिथि (10/2020) तक नहीं की गई थी जिससे उक्त वाहनों का लगातार मूल्य ह्रास हो रहा था तथा कम राजस्व प्राप्त होने से भी इंकार नहीं किया जा सकता।

इसके अतिरिक्त इकाई द्वारा लेखापरीक्षा अवधि में स्टॉक का वार्षिक भौतिक सत्यापन किए जाने से संबन्धित कोई रिपोर्ट लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई।

इस ओर लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने उत्तर दिया कि परिवहन विभाग से संपर्क कर निष्प्रयोज्य वाहनों की नीलामी की कार्यवाही की जाएगी।

इकाई का उत्तर स्वतः ही लेखापरीक्षा आपत्ति की पुष्टि करता है। इसके अतिरिक्त स्टॉक के भौतिक सत्यापन से संबन्धित साक्ष्य लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए।

अतः इकाई द्वारा वर्ष 1998 से वर्ष 2016 तकअक्रियाशील/ऑफ रोड पड़े 06 वाहनों की नीलामी न किए जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञानमें लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण:-

प्रतिवेदन संख्या एवं वर्ष	**प्रस्तर संख्या**		
	भाग II `अ`	**भाग II `ब`**	**STAN**
58/2004-05	-	02	-
45/2016-17		01	01

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

प्रतिवेदनसंख्या	प्रस्तर 2A	प्रस्तर 2B	प्रस्तर STAN	अभियुक्ति
58/2004-05	-	02	-	इकाई द्वारा अवगत कराया गया कि अनुपालन आख्या तैयार कर शीघ्र ही महालेखाकर लेखापरीक्षा को प्रेषित की जाएगी ।
45/2016-17		01	01	

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

..... शून्य .....

भाग-V

आभार

1). कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून, लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालयअधिशासी अभियंता,उद्योगशाला खंड, रुड़कीतथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः

अप्रस्तुत अभिलेख: -।

2). सतत् अनियमितताएःशून्य

3). लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया:

नाम	**पदनाम**	**अवधि**
श्री वी एस पाल	अधिशासी अभियंता	29.06.2015 से 30.12.2016
श्री आर एस शर्मा	अधिशासी अभियंता	31.12.2016 से 28.06.2017
श्री पी के वर्मा	अधिशासी अभियंता	29.07.2017 से 13.09.2017
श्री सुरेश पाल	अधिशासी अभियंता	13.09.2017 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय अधिशासी अभियंताउद्योगशाला खंड, रुड़कीको इस आशय से प्रेषित कर दी गयी, जिसकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर अनुपालन आख्या सीधे "उप-महालेखाकार/एएमजी-I, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड,महालेखाकार भवन,कौलागढ़, देहरादून- 248195" को प्रेषित कर दी जाय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/एएमजी-I